तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19–4–2018	वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रकरण में हमारे द्वारा समायत शुदा बहस, पत्रावली के रेकर्ड का अवलोन कर बहस पर मनन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहूंचे है कि अपीलान्ट प्रतिवादीगण द्वारा यह अपील अधिनस्थ न्यायालय के लोक अदालत के निर्णय दिनांक 7–1–2002 के विरूद्ध दिनांक 11–1–2016 को अर्थात करीब 13 वर्ष 1 माह के विलम्ब से पेश की है। जिसके लिए अपीलान्ट द्वारा दफा–5 जाब्ता मयाद का आवेदन पेश कर कथन किया कि अधिनस्थ नयायालय ने आनन–फानन में शहादत लेकर बिना पक्षकारों को पढ़कर सुनाये निर्णय कर दिया है। अपीलान्ट अनपढ़ ग्रामीण है। अपीलान्ट को निर्णय की जानकारी पटवारी से नकल प्राप्त करने पर हुई। उक्त आवेदन के साथ नाना, चेना व मावा के शपथ पत्र भी पेश किये है। हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन कर बहस व लिखित बहस पर मनन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय में लोक अदालत कैम्प डोडावली पर रेस्पोन्डेन्ट वादीगण के वाद पर पटवारी व तहसीलदार द्वारा अनुशंषा की गई है तथा अधिनस्थ न्यायालय में पटवारी द्वारा यह व्यक्त रूप से लिखा गया है कि भूमियां खातेदारी में आवंटित शुदा व क्रय शुदा भूमि नहीं है तथा इसकी पुष्टि राजस्व रेकार्ड से होती है तथा सजरा खानदान सही है। आश्चर्यजनक रूप से उक्त वाद पर अपीलान्ट प्रतिवादी संख्या 2 व 3 नाना व मावा की सहमति भी वर्णित है। सजरे का प्रमाणन भी नाना व मावा द्वारा किया गया है, जिसे सरपंच ने प्रमाणित किया है। अपीलान्ट नाना स्वयं द्वारा वादी रेस्पोन्डेन्ट के वाद की ताईद कर भूमियां मोरूषी होने का तथ्य वर्णित किया है। उपरोक्त सहमति, साक्ष्य, बयान, राजस्व अधिकारियों के रकर्ड व अपीलान्ट स्वयं की उपस्थिति में सहमति से हुए निर्णय को 13 वर्ष 10 माह बाद के इतने लम्बे विलम्ब को कण्डोन किये जाने के लिए अपीलान्ट वादी द्वारा दिये गये आधार न तो उचित है, न ही पर्याप्त। इसके विपरित	

अपीलान्ट को अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी होने के बावजूद उसके द्वारा जो शपथ पत्र दिया गया है, वह निसन्देह मिथ्या है। क्योंकि अपीलान्ट द्वारा उसे निर्णय की जानकारी वास्तव में किस दिनांक को हुई इसका भी उसके द्वारा अपने आवेदन में कोई वर्णन नहीं किया गया है। उपरोक्तानुसार अपील अपीलान्ट प्रथम दृष्टया ही बेरून मयाद होने से खारिज किये जाने योग्य है। दूसरे राजीनामा आधार पर पारित निर्णय की कोई भी अपील भी लाई नहीं होती,।

अतः अपील अपीलान्ट बेरून मयाद व सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 7–1–2002 यथावत रखा जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

पत्रावलियां बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 19–04–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

प्रकरण संख्या Ud-O 05 / 2016 श्रीमती चेना **बनाम** तपूड़ी

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत ..... **भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ**. .....मुकाम .....

उदयपुर व इजलास ..... **एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.** .....

श्री गणेश लाल नागदा पिता श्री कालूलाल नादा निवासी पुला शोभागपुरा रोड़ पटवार मण्डल के पास शोभागपुा स्कूल के सामने तहसील गिर्वा जिला उदयपुर

बनाम

श्री भंवर लाल पिता श्री तेजपाल कटारिया निवासी 343 भोपालपुरा उदयपुर (राज0) अन्य 10 व सरकार

अपील नं0 84 / 2012 बनाराजगी डिगरी अदालत ..... सहायक कलक्टर मु0..... ..... उदयपुर ..... मुकाम मुक्र्खे.....27..... माह .....02..... 1993

दावा बाबत

यह अपील व तारीख ..... 15..... माह .....06..... सन् 2016 रूबरू... पक्षकारान व हाजरी ....श्री सत्य प्रकाश व्यास ..... मिनजानिब अपीलान्ट व .....श्री संजय बोहरा .... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि अतः अपील अपीलान्ट दूषित (Defectiv) होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27–2–1993 यथावत रखा जाता है।

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये..... X .....अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का ..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....15..... माह ...06..... 2016 को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
1. स्टाम्प अपील ..... 2. स्टाम्प वकालत नामा..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खचार्ज अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत ..... **भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ**. .....मुकाम .....
उदयपुर व इजलास ..... **एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.** .....

श्री गांगा पिता देवा डांगी निवासी खेड़ी तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0) अन्य –2	**बनाम**	श्री भंवर लाल पिता श्री कालूलाल निवासी गांव खेड़ी तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0) अन्य–6

अपील मूत नं0 3 / 2015 बनाराजगी डिगरी अदालत .....भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी .....उदयपुर ..... मुकाम मुक्र्खे.....08..... माह .....07..... 2015

दावा बाबत

यह अपील व तारीख ..... 25..... माह .....05..... सन् 2016 रूबरू... पक्षकारान व हाजरी ....श्री मन्नाराम डांगी ..... मिनजानिब अपीलान्ट व .....श्री .... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि ..... प्रकरण में वकील अपीलान्ट द्वारा पेश शुदा आवेदन दफा–152 जाब्ता दीवानी का अवलोकन किया गया तो यह पाया गया कि इस न्यायालय द्वारा जारी डिक्री अन्तर्गत प्रकरण संख्या 46 / 2004 निर्णय दिनांक 8–7–2010 में अंकित आराजी नं0 3261 रकबा 0.800 हैक्टर लिपिकीय / टंकण त्रुटि से गलत अंकित हो गया है। इसके स्थान पर आराजी नंबर 3231 रकबा 0.0800 हैक्टर अंकित किया जावे।

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये..... X .....अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का ..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....14..... माह ...06..... 2016 को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
5. स्टाम्प अपील ..... 6. स्टाम्प वकालत नामा..... 7. इजराय हुक्मनामा ..... 8. वकील फीस बाबत ..... मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खचार्ज अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।